

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH PATNA,
BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

का०आ०सं०-डब्लू०एम०-II/वर्गीकरण-25/2025-26/05
दिनांक-19/06/2025

कार्यालय आदेश

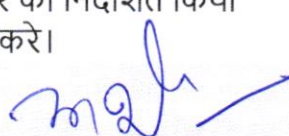
कार्यालय द्वारा निर्गत का०आ०सं०-डब्लू०एम०-II/वर्गीकरण-25/2024-25/82 दिनांक-11/03/2025, जो मुख्यालय के परिपत्र सं०-4-Satff (Appt.-III)/2025 No.51-Staff(Appt.)-III/F-110-2023 दिनांक-22.01.2025 के अनुपालन में बिहार राज्य के अंतर्गत सभी कार्य प्रमंडलों के वर्गीकरण की सूची की सूची परिचालित की गयी थी, के संबंध में पुनः सभी प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि R.W.D., P.H.Division, L.A.E.O., एवं N.H. Division से संबंधित वैसे व्यय जिनका भुगतान स्थानीय (Local) कोषागार के माध्यम से न हो, (e_Marg, Bank Account, PFMS, PL/PD से संबंधित व्यय या अन्य कोई) का विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का व्यय निर्धारित Column में औचित्य के साथ भरकर दिनांक-23.06.2025 तक e.mail/ संदेशवाहक के द्वारा अधोहस्ताक्षरित को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। यदि इससे संबंधित कोई व्यय नहीं हो तो NIL भरकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे प्रमंडलों जिनका व्यय निर्धारित तिथि तक अप्राप्त रहेगा, इससे संबंधित व्यय शून्य (NIL) माना जायगा। साथ ही कार्य प्रमंडलों के वर्गीकरण में किसी प्रकार की अनियमिता की स्थिति में उपरोक्त से संबंधित व्यय अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ज्ञापांक- डब्लू०एम०-II/वर्गीकरण-25/2024-25/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

1. सभी कार्य प्रमंडलों के संबंधित प्रमंडलीय लेखा अधिकारी/ प्रमंडलीय लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना दिनांक-23/06/2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रमंडलीय लेखा अधिकारी/प्रमंडलीय लेखाकार संघ, बिहार।

-ह-
उप महालेखाकार(कार्य)
दिनांक: - 19/06/2025


वरीय लेखा पदाधिकारी
बिहार पटना।